



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)
SITTING NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1926/JH/14/2024-APCR-RU-IV

दिनांक: 11/09/2025

सेवा में,

श्री कौशल किशोर,
वरीय पुलिस अधीक्षक,
जिला रांची,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
झारखंड पुलिस,
रांची, झारखंड - 834001
Email Id: ssp-ranchi@jhpolicen.gov.in

विषय: श्री अमृतेश कुमार सिंह, रांची से लोकायुक्त कार्यालय में कार्यरत श्री शिवशंकर प्रसाद सिंह द्वारा फर्जी गवाही तथा तथ्य को छिपा कर केस संख्या 37/2023 का आननप्राप्त अभ्यावेदन। फानन में निपटारा करने के संबंध में -

संदर्भ: वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची पत्र सं 1244/जि0शि0को0 दिनांक 28.04.2025

महोदय,

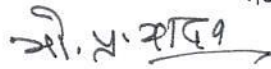
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **18.09.2025 को 11:20 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय


योगेंद्र प्र. यादव / Yogendra P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री अमृतेश कुमार सिंह
49, न्यू ए जी कोपरेटिव कॉलोनी, करून,
रांची, झारखंड 834002
मोबाइल: 9431361039

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading